## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 49 / 2017**

**RCMS No. 2017/00230**

| **प्रार्थी:–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण:–** |
|---|---|---|
| 1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली | | 1. सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा<br>2. देवीसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राव निवासी भीटवाड़ा तहसील बाली |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थिति –**

पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–**31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 85 / 1984–1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 30.11.1985 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 115 दिनांक 12.01.1986 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। केशरसिंह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा के पद पर रहते हुए अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह रास्ते की भूमि है, जिसका विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 85 / 1984–1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 30.11.1985 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 115 दिनांक 12.01.1986 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी मिसल से सम्बन्धित मिसल व बैठक कार्यवाही विवरण संबंधि रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से प्रकरण में प्रकरण में विधिक बिन्दु यह उद्भूत होता है कि सरपंच पद पर रहते हुए अपने पुत्र के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

1994 की धारा 48 की उपधारा 4 के तहत अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति किसी भी मामले में उसका कोई हित होने की स्थिति में, बैठक में भाग नहीं लेगा एवं न ही मतदान करेगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 21 की उपधारा 4 में भी यह प्रावधित किया गया है कि सरपंच या पंच का जिस मामले में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सम्बन्ध हो, तो ऐसा सरपंच या पंच उस मामले पर विचार करते समय उस बैठक में भाग नहीं लेगा। हस्तगत प्रकरण में सरपंच द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार जारी पट्टे को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, भीटवाडा द्वारा मिसल संख्या 85/1984–1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 30.11.1985 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 115 दिनांक 12.01.1986 को खारिज़ किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली